

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2143 /2020

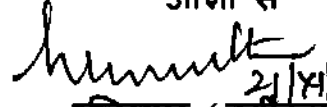
दिनांक : 23.11.2020

श्रीमती सुनिता जिन्दोलिया (RJ0992), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टॉक) को दिनांक 01.12.2020 से 29.05.2021 तक 180 दिनों का मातृत्व अवकाश (प्रथम) दिनांक 28.11.2020 से 30.11.2020 एवं 30.05.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री प्रशान्त चौधरी (RJ0692), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टॉक) को श्रीमती सुनिता जिन्दोलिया के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टॉक) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है अथवा उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
- (2) श्री प्रशान्त चौधरी (RJ0692), जिन्को सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टॉक) के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/156/2015/ 5238

दिनांक : 23.11.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टॉक को उनके पत्रांक 7080 दिनांक 07.11.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती सुनिता जिन्दोलिया (RJ0992), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टॉक) ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टॉक) ।
5. श्री प्रशान्त चौधरी (RJ0692), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टॉक) ।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा (टॉक) ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) रा.उ.न्या., जोधपुर ।


सहायक रजिस्ट्रार